

# ई- निविदा



**राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि., जयपुर**

## प्रपत्र

अनुबन्ध / संविदा पर कार्मिक

उपलब्ध करवाने हेतु

निविदा प्रपत्र मूल्य 1000 / -रु. (12% जी.एस.टी. अतिरिक्त)

ई-निविदा के जरिये आवेदन करने की अन्तिम तिथि 15.03.2019 दोपहर 1.00 बजे तक, तकनीकी निविदा खोलने की तिथि 15.03.2019 को सायं 4.00 बजे / वित्तीय निविदा खोलने की तिथि 18.03.2019 सायं 4.00 बजे।

1. फर्म का नाम.....
2. फर्म का पता.....  
दूरभाष संख्या.....
3. निविदादाता की फर्म पंजीकृत होना आवश्यक है एवं फर्म को सरकारी / अर्द्धसरकारी संस्था में 02 वर्ष का न्यूनतम कार्य का अनुभव होना आवश्यक है :- निम्न सभी प्रमाण पत्र संलग्न करें, प्रमाण पत्रों के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
  - i. पंजीयन संख्या.....
  - ii. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
  - iii. पेन नम्बर.....
  - iv. भविष्य निधि रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
  - v. ई.एस.आई. रजिस्ट्रेशन नम्बर.....
  - vi. कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र.....
4. निविदा फार्म मूल्य रूपये 1120 /- (रु. एक हजार एक सौ बीस मात्र) 12% (जी.एस.टी सहित) का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजफैड, जयपुर के पक्ष में देय होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... राशि.....
5. ई- निविदा प्रोसेसिंग शुल्क राशि रूपये 1000 /- (एक हजार रु. मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट आर.आई.एस.एल, जयपुर के पक्ष में देय होगा का विवरण :- डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... राशि.....
6. अमानत राशि रूपये 1,00,000 /- का ड्राफ्ट राजफैड, जयपुर के पक्ष देय होगा का विवरण :- डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक..... राशि.....
7. यह निविदा राज्य सरकार की ई-निविदा वेबसाईट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) के जरिये ली जावेगी उक्त निविदा राज्य सरकार के पोर्टल [sppp.rajasthan.gov.in](http://sppp.rajasthan.gov.in) तथा राजफैड की वेबसाईट [www.rajfed.gov.in](http://www.rajfed.gov.in) पर भी उपलब्ध है। इस निविदा से संबंधित समस्त वाछित जानकारी एवं प्रपत्र उक्त वेबसाईट पर देखे अथवा डाउनलोड किये जा सकते है। सम्बन्धित फीस के डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन प्रति अपलोड की जावेगी तथा भौतिक रूप से ड्राफ्ट राजफैड मुख्यालय मानव संसाधन विकास शाखा पर दिनांक 15.03.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक जमा करवाया जाना अनिवार्य है। प्राप्त तकनीकी ई-निविदाएं दिनांक 15.03.2019 को मध्यान्ह पश्चात 4.00 बजे खोली जावेगी।
8. निविदा प्रपत्र में दर प्रस्ताव दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही भरा जाना अनिवार्य है।
9. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जायेगी उसे लिखित में रूपये 1000 /- के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
10. कार्मिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की मुख्यालय / क्षेत्रीय कार्यालयों / C.F.F / गैस शाखा, जयपुर पर आवश्यकता रहेगी। जिसकी उपलब्धता सफल निविदादाता फर्म को सुनिश्चित करनी होगी। आवश्यकतानुसार कार्मिक एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन की संख्या में कमी / बढ़ोतरी की जा सकती है।

11. संविदा आधार पर लिये गये कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर एक वर्ष के लिए संविदा पर रखे जायेंगे। फर्म की सेवाएँ संतोषजनक होने पर नियमानुसार कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।
12. कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर को राजकीय अवकाशों एवं कार्यालय समय के पश्चात भी आवश्यकता अनुसार कार्य करना होगा, इसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
13. **भुगतान की शर्तें :-**
  1. प्रत्येक माह की समाप्ति पर भुगतान हेतु फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करना होगा।
  2. फर्म को भुगतान मासिक तौर पर महीना समाप्ति के बाद संतोषजनक रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने पर बैंक/आर.टी.जी.एस द्वारा किया जायेगा। यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।
  3. फर्म को किये जाने योग्य भुगतान से नियमानुसार वैधानिक कटौतियाँ (आयकर, टी.डी. एस इत्यादि) की जायेगी। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण करने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
  4. यदि राज्य सरकार दरों में संशोधन/परिवर्तन करती है तो संवेदक द्वारा उसकी पालना की जानी होगी।
  5. भविष्य निधि, ई.एस.आई. तथा अन्य दायित्व जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी सेवा प्रदाता फर्म की होगी। जमा चालानों की प्रति अगले माह के देय भुगतान के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। उक्त के अभाव में अगले माह का भुगतान रोक दिया जावेगा।
  6. कार्य सम्पादन के दौरान कार्य के सम्बन्ध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
  7. संवेदक को वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ9(1) एफ.डी.1(1)बजट/2012 दिनांक 01.07.2015 एवं श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 07.06.2018 में वर्णित नियम एवं शर्तों/न्यूनतम पारिश्रमिक की सीमा का अनिवार्यतः पालन किया जाना आवश्यक होगा।
  8. विवाद होने पर प्रबंध संचालक, राजफैड, जयपुर का निर्णय मान्य होगा।
  9. यह अनुबंध सेवा प्रदाता फर्म तथा राजफैड के मध्य होगा।
  10. कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर को फर्म द्वारा प्रति माह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान नहीं किया जा सकेगा। कार्मिक को पारिश्रमिक बैंक द्वारा/आर.टी.जी.एस. से भुगतान करना होगा। निविदा दर में सेवा कर के अतिरिक्त समस्त प्रकार के कर शामिल होंगे।

11. किसी कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं संतोषजनक नहीं होने पर सेवा प्रदाता फर्म द्वारा सूचित करने के 07 दिवस में बदलना आवश्यक होगा। निर्देशों की पालना नहीं करने पर फर्म की सेवाएं असंतोषपद मानते हुए उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
12. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अन्तर्गत अपराध और शास्तियों बाध्यकारी होंगे।
13. सशर्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी।
14. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार राजफैड का होगा।
15. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार(संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्य स्थान पर पेश नहीं की जायेगी।

निविदाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर

**राजस्थान राज्य सहकारी क्रय—विक्रय संघ लि.**  
**Rajasthan State Co-operative Marketing Federation Ltd.**  
4, Bhawani singh road, Jaipur-302001

ई—निविदा फार्म  
(तकनीकी निविदा)

प्रबन्ध निदेशक,  
राजफ़ैड,  
4, भवानी सिंह रोड,  
जयपुर—302001

विषय :- निविदा कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा पर) उपलब्ध करवाने हेतु।

- i. मैं.....राजफ़ैड द्वारा जारी निविदा के निर्देश, नियम व शर्तों से सहमत हूँ।
- ii. मैं निविदा में दी गई दरों पर निविदा अवधि में कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा पर) उपलब्ध करवाने के लिये सहमत हूँ।
- iii. धरोहर/अमानत राशि बैंक ड्राफ्ट संख्या.....रूपये.....  
(शब्दों में).....जमा करा दी गई है।
- iv. शर्तों के उल्लंघन पर राजफ़ैड को मेरी धरोहर/अमानत एवं RISL को प्रोसेसिंग फीस जब्त करने का अधिकार होगा।
- v. मैं निविदा की मांग अनुसार राज्य सरकार की वेबसाइट [www.eproc.rajasthan.gov.in](http://www.eproc.rajasthan.gov.in) पर प्रेषित/अपलोड कर रहा हूँ।
- vi. विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
- vii. सम्पर्क विवरण
  1. फर्म का नाम.....
  2. निविदा दाता का नाम.....
  3. पूर्ण पता मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर.....
  4. फर्म रजिस्ट्रेशन नम्बर (श्रम विभाग/सहकारिता विभाग में पंजीयन संख्या)  
.....
  5. कर्मचारी भविष्य निधि पंजीयन संख्या.....
  6. आयकर रजिस्ट्रेशन/पेन नम्बर.....
  7. सेवा कर पंजीयन संख्या.....
  8. ई.एस.आई. पंजीयन संख्या.....

viii. निविदादाता द्वारा तकनीकी निविदा में निम्न दस्तावेजों की Scanned copy अपलोड करवानी होगी जिसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम
1.	कर्मचारी भविष्य निधि संस्था रजिस्ट्रेशन
2.	जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन
3.	श्रम विभाग में पंजीकृत/कोआपरेटिव एक्ट में पंजीकृत
4.	पेन नम्बर
5.	निविदा दाता फर्म को न्यूनतम दो वर्ष का सरकारी/अर्धसरकारी/राजफैड/बोर्ड में कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा/ अनुबन्ध पर) उपलब्ध कराने कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6.	ठेकेदार द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ 1000/- रूपयों के स्टाम्प पेपर पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी फर्म को सरकार के किसी भी विभाग/संस्था द्वारा काली सूचिबद्ध नहीं किया गया है। एवं इस प्रकार के किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।
7.	निविदा मुल्य एवं प्रोसेसिंग फीस के डी.डी. की स्केन कॉपी।
8.	धरोहर राशि डी.डी. नम्बर एवं डी.डी. की स्केन कॉपी।

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर

नोट :-

- 1- यदि नियमों के अन्तर्गत बोलीदाता पंजीकरण बाध्यता की सीमा में नहीं है तो वह तदनुसार वचन-पत्र(अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करते हुये बोली में भाग ले सकेगा।
- 2- सफल बोलीदाता को यह शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि निविदा अवधि के दौरान यदि उसके द्वारा राजस्थान श्रमिक अनुबन्धित अधिनियम एवं श्रमिक अनुबन्ध नियम,1970/संशोधन अधिनियम, 2014 तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया जाना आवश्यक हो तो तदनुसार पंजीकरण कराते हुये प्रमाण-पत्र की प्रति संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.  
Rajasthan State Co-operative Marketing Federation Ltd.  
4, Bhawani Singh Road, Jaipur-302001

ई-निविदा फार्म  
(वित्तीय निविदा)

फर्म का नाम.....

फर्म का पता.....

मोबाईल नम्बर.....

मैं/हम.....निम्न वित्तीय बोली एवं शर्तों

पर निम्नानुसार कार्मिक/कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन उपलब्ध कराने के लिए सहमत है।  
निविदा की समस्त शर्तों से मैं/हम सहमत है।

क्र. सं.	पद का नाम	न्यूनतम मजदूरी प्रति माह प्रति कार्मिक (रु.)	नियोक्ता का भविष्य निधि अंशदान राशि 13.36%	नियोक्ता का ई.एस. आई. अंशदान राशि 4.75%	सर्विस चार्ज	योग (रु.)	जी.एस. टी.	कुल योग (रु.)
01	कम्प्यूटर ऑपरेटर	8500						
02	टेली ऑपरेटर	12000						
03	साफ्टवेयर ऑपरेटर	12000						
04	सूचना सहायक	12000						
05	इलेक्ट्रिशियन / टेक्नीशियन	12100						
06	सुपरवाइजर	12100						
07	कैमिस्ट	21399						
08	हेल्पर/च. श्रे. कर्मचारी	5902						
09	फील्ड रिप्रजेन्टेटिव	9000						

निविदादाता के हस्ताक्षर  
मय मोहर